

बिहार सरकार
समाहरणालय बेगूसराय
(जिला आपूर्ति कार्यालय)
विज्ञापन सं०-02/2026

—आम सूचना—

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का संकल्प-963, दिनांक-20.01.2016 एवं परिपत्र संख्या-2342 दिनांक 15.02.2016, विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.03.2016 तथा पत्रांक 1070 खाद्य, दिनांक 15.03.2023 तथा बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार पटना के (संशोधन आदेश-2022) पत्रांक-1622, दिनांक 05.04.2022, एवं संशोधन आदेश ज्ञापांक-3223, दिनांक 21.07.2022, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र सं०-14396, दिनांक-10.09.2024 एवं संकल्प-962, दिनांक-22.01.2021, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1070, दिनांक-13.03.2023, पत्रांक-1663, दिनांक-18.04.2023 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में बेगूसराय जिला अन्तर्गत बेगूसराय अनुमंडल के लिए कुल-73 (तेहत्तर) जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक-02.11.2026 से 01.12.2026 तक अनुमंडल कार्यालय बेगूसराय में पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या-05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। पंचायतवार/वार्डवार रिक्ति की विवरणी से संबंधित विस्तृत सूचना आरक्षण/कोटिवार बेगूसराय जिला के बेवासाईट **begusarai.bih.nic.in** पर उपलब्ध है। इच्छुक, योग्य व्यक्ति विशेष अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र विहित अनुसूची-1 एवं महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूह अनुसूची-2 में वांछित कागजात के साथ निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


29/10/26

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय।

बिहार सरकार
समाहरणालय बेगूसराय
(जिला आपूर्ति कार्यालय)
विज्ञापन सं०-02/2026

—आम सूचना—

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का संकल्प-963, दिनांक-20.01.2016 एवं परिपत्र संख्या-2342 दिनांक 15.02.2016, विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.03.2016 तथा पत्रांक 1070 खाद्य, दिनांक 15.03.2023 तथा बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार पटना के (संशोधन आदेश-2022) पत्रांक-1622, दिनांक 05.04.2022, एवं संशोधन आदेश ज्ञापांक-3223, दिनांक 21.07.2022, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र सं०-14396, दिनांक-10.09.2024 एवं संकल्प-962, दिनांक-22.01.2021, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1070, दिनांक-13.03.2023, पत्रांक-1663, दिनांक-18.04.2023 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में बेगूसराय अनुमंडल के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकानों की कुल रिक्तियों निम्न प्रकार है :-

क्र०	अनुमंडल का नाम	अनारक्षित (01)	अनु० जाति (02)	अनु० जन जाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अर्हता हेतु आरक्षित पदों की सं०
		35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
1	बेगूसराय	47	0	4	0	15	0	07	73		मुक्त वधिर-01 चलंत दिव्यांगता-01 वैदिक दिव्यांगता-01
		16	0	1	0	5	0	2	24	01	

इस प्रकार कुल-73 (तेहत्तर) जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं को कुल-24 एवं दिव्यांगों की कुल सं०-03 पद सम्मिलित हैं।

- व्यक्ति विशेष से विहित अनुसूची-01 में तथा विहित अनुसूची-02 में स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोगी समितियों के लिए आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय में दिनांक-02.11.2026 से 30.11.2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से बेगूसराय अनुमंडल मुख्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी। (i) स्वयं सहायता समूह (ii) महिलाओं की सहयोग समितियों (iii) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों (iv) शिक्षित बेरोजगार (v) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी।
- अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के आवेदक आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।
- पिछड़े वर्गों की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलाएँ मानी जायेगी।
- उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा एवं विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर लाभुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति दी जा सकेगी।
- यदि अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा और यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम (Vice Versa) द्वारा भरा जायेगा।
- उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक का मैट्रिक पास और वयस्क होना आवश्यक है। कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों के नाम से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी तथा इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।
9. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प सं०-962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगजनों को 04: क्षेत्रीय आरक्षण एवं पत्रांक-2226 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन को 02% क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ देय होगा।
10. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की अर्हताएँ :-
 - (i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी) पति पत्नी पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
 - (ii) मुखिया सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।
 - (iii) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकटतम संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
 - (iv) अवयस्क, पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
 - (v) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।
 - (vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
11. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लम्बित मामलों में पारित अंतिम आदेश के आलोक में रिक्ति एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है जिसके आलोक में चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. अनुमंडलवार/प्रखंडवार/पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियाँ जिला आपूर्ति कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय बेगूसराय के सूचनापट्ट पर तथा बेगूसराय जिले के वेबसाइट begusarai.bih.nic पर भी देखा जा सकता है।
14. (i) अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत रिक्तिवार मेधा क्रमांक अंकित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।
 - (ii) तत्पश्चात् जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय सूचना पट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय के समक्ष लिखित दावा/ आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा।
 - (iii) दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि-सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जाएगी।
 - (iv) अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष दायर कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन करेंगे। साथ ही सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
 - (v) वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भी अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किन्तु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।
 - (vi) जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

नोट :-

- आवेदक पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) तीन प्रति में संलग्न करना होगा तथा एक अभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर दाये कोने में चिह्नित स्थान पर चिपकाना होगा।
- आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे ऊपर पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों एवं मार्कशीट की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि तक ही मान्य होगा।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने के लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- आचरण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधित शपथ पत्र जो छह महीने के पूर्व का निर्गत नहीं हो, की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- आवेदक को अपने जन वितरण प्रणाली की दुकान के संचालन हेतु भंडारण एवं वितरण स्थल का विवरण आवेदन में अंकित करना होगा।
- एक ही पंचायत या वार्ड के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।
- आवेदक को निम्नांकित बिन्दुओं से संबंधित कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष स्वयं शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि :-
 - I. इनके संयुक्त परिवार में पूर्व से उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं है। (पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
 - II. आवेदक वर्तमान में स्वयं सदस्य मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं है।
 - III. ये अथवा इनके परिवार का कोई भी सदस्य आटा चक्की का मालिक नहीं है।
 - IV. सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य का दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- आवेदक इस आशय का स्वघोषणा देंगे कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्ट की गई सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र के अनुसूची 01 से 02 का प्रपत्र जिला के वेबसाइट **begusarai.bih.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

29/10/26
जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।